इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]　　　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019—ज्येष्ठ 24, शक 1941

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ—2—12—2018—सात—शा.7.—　　　　भोपाल, दिनांक 7 जून, 2019

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन हेतु निर्देश.

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 एवं 60 के अधीन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-चार, दिनांक 28 सितम्बर 2018 को प्रकाशित किये जा चुके हैं। उक्त नियमों के अधीन निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व जमा कराने की प्रक्रिया- (देखें नियम 10(2))

भूमिस्वामी/आवेदक भूमि के व्यपवर्तन की सूचना के साथ प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि शासकीय कोषालय में जमा करा कर उसके चालान की प्रति संलग्न करेगा। इस हेतु कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख की वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in या आर.सी.एम.एस. पोर्टल http://rcms.mp.gov.in पर प्रीमियम की गणना तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि की गणना एवं भूमि व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था उपलब्ध है। कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख की वेबसाइट को सायबर ट्रेजरी पोर्टल से सम्बद्ध किया जा चुका है, फलत: प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि आवेदक द्वारा **भूलेख पोर्टल** के माध्यम से ऑनलाइन शासकीय कोषालय में जमा करायी जा सकती है।

2. आवेदक को पावती के प्रदाय की प्रक्रिया-(देखें नियम 11)

(1) भूमिस्वामी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में व्यपवर्तन की सूचना नियम 11 में विहित प्ररूप-एक में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन की सूचना तत्काल पोर्टल पर दर्ज की जायेगी और भूमिस्वामी को निर्धारित प्ररूप-एक के भाग-दो में पावती पोर्टल से प्रिंट कर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यपवर्तन की सूचना भूलेख पोर्टल अथवा आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की स्थिति में पावती ऑनलाइन जनरेट की जायेगी जिसका प्रिंटआउट आवेदक द्वारा लिया जा सकेगा। चूंकि प्रिंटआउट ऑनलाइन जनरेट किया जा रहा है, अत: ऑनलाइन पावती पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन पावती पर रेफरेंस नम्बर एवं क्यूआर कोड अंकित होगा। इस रेफरेंस नम्बर अथवा क्यूआर कोड से व्यपवर्तन की सूचना को भूलेख पोर्टल से सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार भूलेख पोर्टल https://mpbhulekh.gov.in अथवा आर.सी.एम.एस.पोर्टल http://rcms.mp.gov.in से जारी ऑनलाइन पावती मान्य होगी।

3. व्यपवर्तन स्कैच (अक्स) का निर्माण एवं जमा करने की प्रकिया: (देखें नियम 12)

(1) आवेदक जिस भूमि को व्यपवर्तित कराना चाहता है उस भूमि को राजस्व नक्शे (Cadastral Map) पर स्पष्ट रूप से चिन्हित करेगा। नक्शे पर व्यपवर्तित होने वाली भूमि का सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक एवं ग्राम, पटवारी हल्का/ सेक्टर, तहसील व जिले का नाम भी अंकित होना आवश्यक होगा।

(2) यह संभव है कि व्यपवर्तन स्कैच में एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक सम्मिलित हों क्योंकि व्यपवर्तित की जा रही भूमि एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक का भू-भाग हो सकती है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 59 की उपधारा (6) के अंतर्गत प्रेषित की जा रही व्यपवर्तन की सूचना में व्यपवर्तित किये जा रहे सभी संख्यांकों का उल्लेख किया जायेगा।

(3) जहां किसी सर्वेक्षण संख्यांक की सम्पूर्ण भूमि व्यपवर्तित की जा रही हो, वहां उस भूमि के राजस्व नक्शे पर उस सर्वेक्षण संख्यांक को पूर्णरूपेण व्यपवर्तित दर्शाया जायेगा।

(4) यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक का अंश भाग व्यपवर्तित किया जाना है, वहां उस अंश भाग को राजस्व नक्शे पर स्पष्ट रूप से सीमाएं दर्शाते हुए चिन्हित किया जाकर उस अंश भाग का क्षेत्रफल एवं व्यपवर्तन के प्रयोजन का उल्लेख किया जायेगा।

(5) ऐसे प्रकरणों में जहां भूमि का व्यपवर्तन *एक से अधिक* प्रयोजन हेतु किया जा रहा है और वह भूमि किसी विकास योजना (Development plan) की सीमा में स्थित है, व्यपवर्तन स्कैच (अक्स) किसी लेआउट के रूप में जिसमें रोड, भू-खण्ड, बाग-बगीचा इत्यादि को चिन्हित किया गया है तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसे व्यपवर्तन स्कैच को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया गया हो। ऐसे व्यपवर्तन स्कैच को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत व्यपवर्तन की सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(6) अलग-अलग श्रेणी के प्रकरणों में यथा 500 वर्गमीटर या उससे अधिक के मामले में 1/4000 और 500 वर्गमीटर से कम के मामले में 1/1000 वर्गमीटर के पैमाने (स्केल) में व्यपवर्तन स्कैच निम्नानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे:

(क) संहिता की धारा 59 की उपधारा (6) के अंतर्गत भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत की जा रही व्यपवर्तन की सूचना के साथ व्यपवर्तन स्कैच प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) नियम 16 के उपनियम (1) के अंतर्गत पटवारी या नगर सर्वेक्षक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन के साथ व्यपवर्तन स्कैच प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) नियम 16 के उपनियम (2) के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिन प्रकरणों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही की जा रही है, व्यपवर्तन स्कैच पटवारी या नगर सर्वेक्षक अथवा किसी **'<u>उपयुक्त व्यक्ति</u>'** से तैयार कराया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 'उपयुक्त व्यक्ति' से तात्पर्य है सेवानिवृत्त पटवारी, नगर सर्वेक्षक, अनुरेखक, राजस्व निरीक्षक, तथा स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद/ यंत्री हैं

(7) व्यपवर्तन स्कैच का उदाहरण अनुलग्नक-1 एवं व्यपवर्तन स्कैच का प्ररूप अनुलग्नक-2 में संलग्न है।

4. व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया: (देखें नियम 13)

भूमिस्वामी से 'व्यपवर्तन की सूचना' प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 59 के अंतर्गत मद अ-2 में राजस्व प्रकरण दर्ज किया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा शासन को देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना कर संगणित राशि की तुलना व्यपवर्तन की सूचना में वर्णित व जमा प्रीमियम एवं भू-राजस्व की राशि से की जाकर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

(1) यदि जमा की गयी प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भूराजस्व की राशि सही है, तब अनुलग्नक-3 में व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि / आदेश जारी किया जायेगा।

(2) यदि जमा की गयी प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि नियमानुसार संगणित देय राशि से कम है, तब अनुलग्नक-4 में अंतर की राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया जायेगा।

(3) यदि जमा की गयी प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि नियमानुसार संगणित देय राशि से अधिक है और -

(क) भूमिस्वामी अंतर की राशि वापिस चाहता है तो नियम 14 के उपनियम (2) के अंतर्गत अंतर की राशि वापसी हेतु आदेश अनुलग्नक-3 में जारी किया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर संबंधित तहसील के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा फार्म एमपीटीसी-44 पर क्लेम तैयार किया जायेगा जिसमें निम्न जानकारियां होना अनिवार्य होंगीं -

(एक) भूमिस्वामी का नाम

(दो) वापिसी से संबंधित वर्ष

(तीन) वापिस की जाने वाली राशि

(चार) मूल जमा राशि का चालान क्रमांक एवं दिनांक

(पाँच) भूमिस्वामी के बैंक अकाउंट का विवरण

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा यह देयक (एमपीटीसी-44) कोषालय में जमा किया जायेगा तथा रिफन्ड पेमेंट एडवाईस (Refund payment advice) की एक हस्ताक्षरित प्रति संबंधित कोषालय अधिकारी को भुगतान करने हेतु प्रेषित की जायेगी। संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा वापिसी योग्य राशि का भुगतान भूमिस्वामी के बैंक खाते में ई-भुगतान से अंतरित की जायेगी।

(ख) वापिस की जाने वाली राशि भूमि के 10 वर्ष के भू-राजस्व के बराबर या उससे कम होने पर उपखण्ड अधिकारी संबंधित भूमिस्वामी को यह विकल्प देगा कि भूमिस्वामी राशि वापिस चाहता है अथवा भू-राजस्व के अग्रिम जमा के रूप में राशि के समायोजन का इच्छुक है। यदि संबंधित भूमिस्वामी अग्रिम भू-राजस्व जमा में समायोजन चाहता है तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश अनुलग्नक-3 में, इस टिप्पणी के साथ कि भूमिस्वामी ने वापिस की जाने वाली राशि भू-राजस्व के अग्रिम के रूप में समायोजित करने का विकल्प चुना है, जारी किया जायेगा तथा तहसीलदार को संसूचित किया जायेगा जो संबंधित पटवारी/नगर सर्वेक्षक से भूमिस्वामी के खाते में अग्रिम भू-राजस्व के समायोजन संबंधी टीप अंकित करने हेतु नोट करायेगा।

5. भू-अभिलेख में संशोधन

(1) जिन प्रकरणों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी की संतुष्टि है कि व्यपवर्तन की सूचना विधि सम्मत दी गयी है और व्यपवर्तित की जाने वाली भूमि का प्रीमियम एवं भू-राजस्व की राशि नियम 13 के अनुसार जमा की गयी है, उपखण्ड अधिकारी अनुलग्नक-3 में भू-अभिलेख में संशोधन हेतु आदेश जारी करेगा।

(2) ऐसे प्रकरणों में जहां उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियम 13 के उपनियम (2) के अंतर्गत प्रीमियम एवं भू-राजस्व की अंतर की राशि जमा करने हेतु संबंधित भूमिस्वामी को सूचना पत्र जारी किया गया है और संबंधित भूमिस्वामी द्वारा राशि जमा करा दी गयी है, उपखण्ड अधिकारी अनुलग्नक-3 में भू-अभिलेख में संशोधन हेतु आदेश जारी करेगा।

(3) यदि किसी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियम 13 के उपनियम (2) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार तीस दिवस की अवधि में व्यपवर्तन की सूचना के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो ''उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अध्यधीन'' टीप अंकित करते हुए तहसीलदार द्वारा भू-अभिलेख अद्यतन कराया जायेगा जो उपखण्ड अधिकारी के आदेश की प्राप्ति पर तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

6. पूर्व सूचना दिये बिना भूमि को व्यपवर्तित करने से संबंधित प्रकरणों की प्रक्रिया: (देखें नियम 16(2))

(1) उपखण्ड अधिकारी दवारा संबंधित भूमिस्वामी को प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व तथा दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के पश्चात के प्रकरणों में शास्ति एवं देय ब्याज (यदि कोई हो) की कुल देय राशि जमा करने हेतु सूचना/मांग-पत्र अनुलग्नक-5 में जारी किया जायेगा।

(2) ऐसे प्रकरणों में, जिनमें भूमिस्वामी द्वारा सूचना/मांग-पत्र प्राप्ति के उपरांत भूमि का प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के पश्चात के प्रकरणों में शास्ति एवं देय ब्याज (यदि कोई हो) सहित कुल देय राशि जमा करा दी गयी है, उपखण्ड अधिकारी भू-अभिलेख में संशोधन हेतु तहसीलदार को निर्देशित करेगा।

(3) ऐसे प्रकरणों में जिनमें भूमिस्वामी द्वारा सूचना/मांग-पत्र प्राप्ति के उपरांत आपत्ति/उत्तर प्रस्तुत किया गया है अथवा एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई है, उनमें यथोचित जॉच उपरांत उपखण्ड अधिकारी विवेचना सहित आदेश पारित करेगा और पारित आदेश अनुसार देय राशि की वसूली एवं भू-अभिलेख में संशोधन हेतु तहसीलदार को निर्देशित करेगा।

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

व्यपवर्तन स्कैच (अक्स) (उदाहरण)

व्यपवर्तित क्षेत्र के नक्शे की प्रति

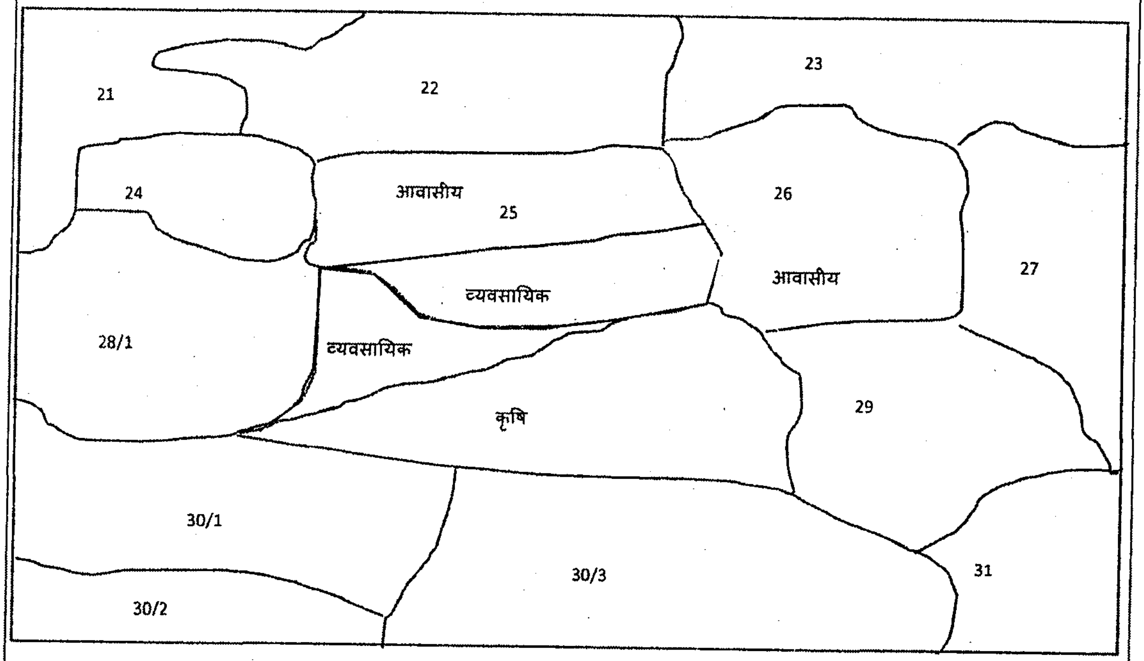

जिला	तहसील	रा.नि.मंडल	पटवारी हल्का	ग्राम/ सेक्टर	नक्शे का पैमाना

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>सर्वेक्षण संख्यांक</th><th>कुल क्षेत्रफल (हे.)</th><th>व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन</th><th>व्यपवर्तित प्रयोजन</th><th>व्यपवर्तित क्षेत्रफल (व.मी.)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">1.3</td><td rowspan="3">कृषि</td><td>आवासीय</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>व्यवसायिक</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">26</td><td rowspan="2">1.4</td><td rowspan="2">कृषि</td><td>आवासीय</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">28/2</td><td rowspan="3">1.36</td><td rowspan="3">कृषि</td><td>व्यवसायिक</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>कृषि</td><td>0.76</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>1.36</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">भूमिस्वामी :</td><td>आवेदक का नाम एवं पता- abcde</td></tr>
<tr><td>सूचना क्रमांक- 8912312</td></tr>
<tr><td>सूचना दिनांक- dd/mm/yyyy</td></tr>
<tr><td>आवेदक के हस्ताक्षर</td><td></td></tr>
</table>

अनुलग्नक-2
(नियम 12 देखें)

व्यपवर्तन स्कैच (अक्स)

व्यपवर्तित क्षेत्र के नक्शे की प्रति

जिला	तहसील	रा.नि.मंडल	पटवारी हल्का	ग्राम/ सेक्टर	नक्शे का पैमाना

स.क्र.	सर्वेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्रफल (हे.)	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (व.मी.)

भूमिस्वामी :	आवेदक का नाम एवं पता- सूचना क्रमांक- सूचना दिनांक-
आवेदक के हस्ताक्षर	

अनुलग्नक–3
(नियम 13 एवं 14 देखें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-................जिला ....

राजस्व प्रकरण क्रमांक-

भूमिस्वामी का नाम, माता/पिता/पति का नाम..

पता...

आवेदक (यदि भूमिस्वामी से भिन्न है तो) के विवरण ....

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

---व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि/आदेश-----

(दिनांक-...............)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 के अंतर्गत श्री .... (भूमिस्वामी का नाम व पता).. द्वारा दिनांक .... को ग्राम/सेक्टर -................. पटवारी हल्का .... राजस्व निरीक्षक मण्डल.................. नगरीय निकाय..................... तहसील........................ जिला.................... स्थित नीचे तालिका में दिए गये विवरण की भूमि के व्यपवर्तन की सूचना प्रस्तुत की गयी है। उसके द्वारा चालान क्रमांक...............दिनांक..........राशि.......... रूपये से जमा किये गये प्रीमियम एवं वार्षिक पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि के विवरण तालिका-1 अनुसार है, न्यायालय द्वारा की गयी संगणना का विवरण तालिका-2 अनुसार है और अंतर की राशि के विवरण तालिका-3 अनुसार हैं।

तालिका – 1 : आवेदक द्वारा संगणित एवं जमा की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व पति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+ 11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

तालिका – 2 : न्यायालय द्वारा संगणित की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर मे)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये मे) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+ 11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

तालिका– 3: अंतर की राशि के विवरण

सं.क्र.	विवरण	आवेदक द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	न्यायालय द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	अंतर की राशि जो जमा की जाना शेष है (रूपये में)	अंतर की राशि जो वापिस की जाना है (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रीमियम राशि				
2	वार्षिक पुनर्निर्धारित भू-राजस्व				
3	वार्षिक पंचायत उपकर (यदि देय हो तो)				
4	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)				
5	योग				

2/- एतदद्वारा, व्यपवर्तित भूमि पर देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित वार्षिक भू-राजस्व की गणना सही है एवं गणना अनुसार राशि जमा की जा चुकी है अतः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत व्यपवर्तन की सूचना में उल्लेखित गणना की पुष्टि की जाती है।

या

एतदद्वारा, उक्त नियम के नियम 13 के उपनियम (2) एवं 14 के उपनियम (1) के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका-3 के स्तम्भ (5) में दर्शाये अनुसार अंतर की कुल राशि रूपये ....(शब्दों में....................................) की सूचना भूमिस्वामी/आवेदक को दी गई। भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा अंतर की उक्त राशि चालान क्रमांक ....दिनांक .... द्वारा जमा करा दी है अतएव् व्यपवर्तन की गणना की पुष्टि की जाती है।

या

एतदद्वारा, व्यपवर्तित भूमि का प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित वार्षिक भू-राजस्व की जमा राशि, न्यायालय की गणना अनुसार एक वर्ष हेतु निर्धारित राशि से अधिक जमा की गई है अतः उक्त नियम के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत व्यपवर्तन की गणना की पुष्टि करते हुए तालिका-3 के स्तम्भ (6) में दर्शाये अनुसार अधिक जमा की गई कुल राशि रूपये................(शब्दों में....................................) है, तथा भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा दी गई सहमति के अनुसार राशि रूपये................(शब्दों में....................................) को आवेदित भूमि हेतु देय भू-राजस्व के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में समायोजित किया जाये।

अथवा

एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि तहसील का आहरण एवं संवितरण अधिकारी भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा जमा की गयी अधिक राशि को उसे, उसके द्वारा दिए गये खाते के विवरण, जो कि नीचे दर्शाये जा रहे हैं, में अंतरित करते हुए वापिस करे:-

1.	राशि जमा किये जाने का चालान क्रमांक और दिनांक		
2.	वापसी से संबंधित वर्ष		
3.	वापस दी जाने वाली राशि	अंको में- शब्दों में-	
4.	जिस व्यक्ति को राशि वापस दी जा रही है, उसके बैंक खाते का विवरण	खाता धारक का नाम	
		बैंक तथा शाखा का नाम	
		बैंक खाता नंबर	
		IFSC कोड	

3/- तहसीलदार आदेश के पालन में संबंधित भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन करायें और समायोजन की दशा में समायोजित राशि का भी अभिलेख में उल्लेख करे।

दिनांक

न्यायालय की सील

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड का नाम)
(जिले का नाम)

टिप्पणी:- कंडिका 2 में से जो अंश लागू न हों, उन्हें काट दें ।

अनुलग्नक-4
(नियम 13 एवं 14 देखें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-................जिला ....

राजस्व प्रकरण क्रमांक- दिनांक ....

भूमिस्वामी का नाम, माता/पिता/पति का नाम...
पता...
आवेदक (यदि भूमिस्वामी से भिन्न है तो) के विवरण
....

प्रति,
....
....
.... (भूमिस्वामी/आवेदक के विवरण)

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

----सूचना पत्र----

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत श्री .... (भूमिस्वामी का नाम व पता) द्वारा दिनांक .... को ग्राम/सेक्टर -................. पटवारी हल्का .... राजस्व निरीक्षक मण्डल...................... नगरीय निकाय...................... तहसील......................... जिला..................... स्थित नीचे तालिका में दिए गये विवरण की भूमि के व्यपवर्तन की सूचना प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा चालान क्रमांक...............दिनांक..........राशि........... रूपये से जमा की गई राशि का विवरण तालिका-1 अनुसार है, न्यायालय द्वारा की गयी संगणना का विवरण तालिका-2 अनुसार है और अंतर की राशि के विवरण तालिका-3 अनुसार हैं।

तालिका – 1 : आवेदक द्वारा संगणित एवं जमा की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10-11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

तालिका – 2 : न्यायालय द्वारा संगणित की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

तालिका–3: अंतर की राशि के विवरण

सं.क्र.	विवरण	आवेदक द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	न्यायालय द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	अंतर की राशि जो जमा की जाना शेष है (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रीमियम राशि			
2	वार्षिक पुनर्निर्धारित भू-राजस्व			
3	वार्षिक पंचायत उपकर (यदि देय हो तो)			
4	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)			
5	योग			

एतदद्वारा उक्त नियम के नियम 14 के उपनियम (1) के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका-3 के अनुसार अंतर की राशि रूपये.......................... (शब्दों में...) इस सूचना पत्र की प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर जमा कर इस न्यायालय को सूचित करे।

दिनांक

न्यायालय की सील

उपखण्ड अधिकारी

(उपखण्ड का नाम)

(जिले का नाम)

अनुलग्नक–5
(नियम 16 देखें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-................जिला ....

राजस्व प्रकरण क्रमांक-............. **दिनांक-............**

मध्यप्रदेश शासन
विरुद्ध

प्रति,
....
....
.... (भूमिस्वामी/अनावेदक के विवरण)

भूमिस्वामी का नाम, माता/पिता/पति का नाम...
पता...

---- सूचना / मांग-पत्र----

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम/सेक्टर............ पटवारी हल्का........राजस्व निरिक्षक मंडल.......... नगरीय निकाय..................तहसील.................जिला................ स्थित नीचे तालिका-1 में दिये गये विवरण की भूमि विधिवत सूचना दिये बिना/त्रुटिपूर्ण सूचना देते हुए व्यपवर्तित की गई है।

तालिका – 1 : स्थल पर पाई गई व्यपवर्तित भूमि के विवरण और उस पर देय प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की जानकारी

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9).	(10)	(11)	(12)	(13)

2/- आपके द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई व्यपवर्तन की सूचना नहीं दी है।

या

आपके द्वारा दी गई व्यपवर्तन की सूचना के विवरण नीचे तालिका-2 अनुसार हैं, जो त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं।

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

3/- उपरोक्त कंडिका-1 एवं कंडिका-2 के विश्लेषण के आधार पर अंतर की राशि रूपये..................................(शब्दों में रूपये..) आपके द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है। चूंकि आपके द्वारा व्यपवर्तन की विधिवत सूचना नहीं दी गई है/त्रुटिपूर्ण दी गई है, इस कारण संहिता की धारा 59 की उपधारा (9) के अनुसार उक्त अंतर की राशि के अतिरिक्त उस पर 50% शास्ति राशि के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है।

4/- अतएव आपको सूचित किया जाता है कि क्यों न आपसे उक्त अंतर की राशि एवं उस पर शास्ति और विधि अनुसार देय ब्याज की राशि वसूल की जाये। आप दिनांक................. समय............ बजे इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक

न्यायालय की सील

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड का नाम)
(जिले का नाम)

टिप्पणी:- कंडिका 2 एवं कंडिका 3 में जो अंश लागू न हों, उन्हें काट दें ।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2019.